

MIB KEEPS CONTROL OF TV RATINGS

TRAI recommendations find space in the new framework, but the regulator's request for a formal role has not been accepted. The development reinforces MIB's administrative control over television audience measurement.

The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) has incorporated some recommendations made by the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) on television ratings, but has declined the regulator's request for a formal institutional role under the newly notified Television Ratings Policy, 2026.

According to people familiar with the discussions, the ministry conveyed that including TRAI as a formal authority in the ratings framework is not customary. The response follows TRAI's recent communication seeking a review of the new policy after its role in television audience measurement was removed.

The distinction between recommendations and formal authority is central to the issue. While the MIB has considered TRAI's policy inputs, the ministry has retained responsibility for registration of rating agencies, audits, compliance and enforcement under the new framework. TRAI had argued that audience measurement falls within its wider regulatory remit covering broadcasting and cable services. Under the earlier framework, the regulator had issued consultation papers and recommendations, while final policy and implementation powers remained with the MIB.

The latest development comes at a significant time for the television industry, where audience measurement directly influences advertising revenues, channel positioning, media planning and commercial negotiations. The MIB's position effectively separates policy consultation from institutional control. TRAI's recommendations can continue to inform the framework, but the formal authority over television ratings remains with the ministry.

The issue could gain further importance as the new policy moves into implementation and stakeholders assess how the revised ratings architecture operates in practice. ■

टीवी रेटिंग पर कंट्रोल बना रहेगा एमआईबी का

नये फ्रेमवर्क में ट्राई की सिफारिशों को तो शामिल किया गया है, लेकिन रेगुलेटर की औपचारिक भूमिका की मांग को नहीं माना गया। इस कदम से टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट पर एमआईबी की प्रशासनिक कंट्रोल और मजबूत होता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने टेलीविजन रेटिंग पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) की कुछ सिफारिशों को तो माना है, लेकिन नयी टेलीविजन रेटिंग नियम, 2026 के तहत रेगुलेटर को औपचारिक संस्थागत भूमिका देने की मांग को ठुकरा दिया है।

इस मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, मंत्रालय ने बताया कि रेटिंग फ्रेमवर्क में ट्राई को एक औपचारिक अथॉरिटी के तौर पर शामिल करना आम बात नहीं है। यह जवाब ट्राई के उस हालिया संदेश के बाद आया है जिसमें उसने टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट में अपनी भूमिका हटाये जाने के बाद नयी नीति की समीक्षा की मांग की थी।

इस मामले में सुझावों और औपचारिक अधिकार के बीच अंतर बहुत अहम है। एमआईबी ने ट्राई के पॉलिसी से जुड़े सुझावों पर तो विचार किया है, लेकिन नये ढांचे के तहत रेटिंग एजेंसियों के पंजीकरण, ऑडिट, नियमों के पालन और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी मंत्रालय के पास ही है।

ट्राई का तर्क था कि ऑडियंस मेजरमेंट उसके बॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से जुड़े व्यापक रेगुलेटरी दायरे में आता है। पहले के सिस्टम के तहत रेगुलेटर ने परामर्श पत्र और सुझाव जारी किये थे, जबकि अंतिम पॉलिसी और उसे लागू करने का अधिकार एमआईबी के पास था।

यह ताजा घटनाक्रम टेलीविजन उद्योग के लिए एक अहम समय पर हुआ है, जहां दर्शकों की संख्या का माप सीधे तौर पर विज्ञापन से होने वाली कमायी, चैनल की स्थिति, मीडिया प्लानिंग और कमर्शियल बातचीत पर असर डालता है।

एमआईबी का रुख असल में नीति पर सलाह मशविरे को संस्थागत नियंत्रण से अलग करता है। ट्राई की सिफारिशें फ्रेमवर्क के लिए जानकारी देती रह सकती हैं, लेकिन टेलीविजन रेटिंग्स पर औपचारिक अधिकार मंत्रालय के पास ही रहता है।

जैसे-जैसे नयी नीति लागू होगी और हितधारक यह देखेंगे कि बदला हुआ रेटिंग संरचना असल में कैसे काम करता है, यह मुद्दा और भी अहम हो सकता है। ■

